

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 मई 2015—वैशाख 31, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 मई 2015

क्र. एफ-ए 6-3-2015-1-पांच, (24).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (03) में विनिर्दिष्ट संभाग के लिये अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है तथा संभाग में लंबित और उद्भूत होने वाले कर निर्धारण प्रकरणों को निपटाने की शक्तियां प्रदान करती है. यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त होगा:—

अ. क्र.	सहायक आयुक्त का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	संभाग
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस. के. सोनटके, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय इन्दौर.	इन्दौर संभाग-1, 2 तथा 3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2015

क्र. एफ-ए 6-3-2015-1-पांच, .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए 6-3-2015-1-पांच, (24), दिनांक 21 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 21st May 2015

No. F-A 6-3-2015-V (24).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints the Assistant Commissioner of Commercial Tax mentioned in Column (2) of the tabel below as Additional Assistant Commissioner for the Division specifide in column (3) and confer the powers to dispose of the assessment cases pending or arising in the division. This responsibility shall be in addition to the present responsibilities :—

S. No.	Name of the Assistant Commissioner and present posting	Division
(1)	(2)	(3)
1.	Shri S. K. Sontake, Assistant Commissioner, Commercial Tax, Head Office Indore.	Indore Division-1, 2 and 3

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.